राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या- 87 / 2020

अशोक कृष्णिया पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला पोस्ट हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थी

ब–ना–म

1. मालाराम पुत्र महादा जाति अहीर निवासी ढाणी बांकली तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी बांकली तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी
खसरा नंबर 1219 / 124 ग्राम सेफरागुवार

::निर्णय:: **दिनांक 19–07–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम सेफरागुवार स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 24 के खसरा नंबर 1219 / 124 रकबा 0.51 है. का खातेदार काबिज काश्तकार है। खाता सं. 230 के खसरा नंबर 1218 / 124 रकबा 0.58 है. का अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है तथा खाता सं. 174 के खसरा नंबर 1233 / 1220 रकबा 0.11 है. का अप्रार्थी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नंबर 1218 / 124 प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1219 / 124 के पूर्व दिशा मे सींव जोड़ स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नंबर 1233 / 1220 प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1219 / 124 के पश्चिम दिशा मे सींव जोड़ स्थित है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि ख.नं. 1219 / 124 की पूर्वी सीमा अप्रार्थी स. 1 के खेत ख.नं. 1218 / 124 के साथ लगती है तथा पश्चिमी सीमा अप्रार्थी सं. 2 के खेत ख.नं. 1233 / 1220 के साथ लगती है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत ख.नं. 1219 / 124 की सीमाओं के साथ तोड़ फोड करते रहते है व सीमा को तोड़ देते है तथा जब प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को सीमा को ठीक करने के लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। इस पर प्रार्थी [illegible] तहसीलदार, खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार, खेतड़ी ने [illegible] हल्का सेफरागुवार के नाम से [illegible] सीमाज्ञान [illegible] आदेश दिया। प्रार्थी की प्रार्थी की उक्त भूमि ख.नं. 1219 / 124 [illegible] दिनांक 01.07.2022 को भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए [illegible] सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर पहुंचे, ग्राम सेफरागुवार के ख.नं. 1219 / 124 का सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर पहुंचे, ग्राम सेफरागुवार के ख.नं. 1219 / 124 [illegible] शीट क्रमांक 37 जारी [illegible] बाद पटवारी हल्का ने कार्यालय भू.अ. झुन्झुनूं द्वारा जारी सर्व शीट क्रमांक 37 जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

02.06.2020 के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नंबर 1219/124 रकबा 0.51 है. का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत खसरा नंबर 1219/124 के साथ तोड़ी हुई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 मौका देखकर प्रार्थी की भूमि ख.नं. 1219/124 की पूर्वी व पश्चिमी सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। जब प्रार्थी मना करता है तो वे मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं इसलिए यह आवेदन प्रार्थी के खेत ख.नं. 1219/124 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1219/124 रकबा 0.51 है. की पूर्वी सीमा जो खसरा नंबर 1218/124 के साथ लगती है तथा पश्चिमी सीमा जो ख.नं. 1233/1220 के साथ लगती है का उक्त खसरा नंबर की सर्वेशीट से नपती करवाकर ख.नं. 1219/124 की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिल्लर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी ने भूमि खसरा नंबर 1219/124 रकबा 0.51 है. अप्रार्थी सं. 2 से क्रय की है तथा अप्रार्थी सं. 2 पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 का सहखातेदार रहा है तथा खाता विभाजन के समय जो वहां काबिज था उसी अनुसार खाता विभाजन हुआ हे। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 के मध्य कदीम से ही बांहमी बंटवारा होकर अपनी-अपनी भूमि के मध्य डोल (मेड बन्दी) बनी हुई है जिसमें कंटीली झाडिया एवं पेड उगे हुए हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी को उसी डोल/मेड बन्दी के बीच का कब्जा दिया था। उक्त डोल/सीमा चिन्ह से आज तक कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है प्रार्थी ने सभी तथ्य गलत व झूंठे दर्ज किये हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 की भूमि हड़पने के लिए यह झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार, खेतड़ी ने प्रार्थी के आवेदन पर खसरा नंबर 1219/124 की चारों दिशाओं की नपति कर सीमाज्ञान करने का आदेश दिया था लेकिन प्रार्थी ने पटवारी हल्का सेफरागुवार से मिलकर ख.नं. 1219/124 की पूर्वी व पश्चिमी सीमा का ही सीमाज्ञान करवाया है क्योंकि ख.नं. 1219/124 की सम्पूर्ण भूमि की चारो दिशाओं की नपति करने पर प्रार्थी की भूमि हिस्से से अधिक है इसलिए प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर चारों दिशाओं की नपति नहीं करवा कर उत्तर व दक्षिणी सीमा की नपति करवाकर न्यायालय के आदेश की आड़ में अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 का वर्तमान मे जो कब्जा है वह पिछले करीब 60-70 वर्षों से है अर्थात् विभाजन से पूर्व का कब्जा है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को उसके शांतिपूर्वक कब्जा से पत्थरगढ़ी या सीमाज्ञान की आड़ में नहीं हटाया जा सकता है। आवेदक केवल बेदखली के नियमित वाद से ही बेदखली करवा सकता है। पत्थरगढी से अप्रार्थी सं. 1 को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल [illegible] संवत् 2076-2079 खाता सं. 24, खाता सं. 174 व खाता सं. 230 [illegible] सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.07.2020, नकल आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम सेफरागुवार [illegible]

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान [illegible]ी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम सेफरागुवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 24 खसरा नंबर 1219/124 रकबा 0.51 है. प्रार्थी की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 01–07–2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थी ने सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थी पुनः ख.नं. 1219/124 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जो विधिसम्मत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम सेफरागुवार स्थित भूमि खसरा नंबर 1219/124 रकबा 0.51 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner